अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

निर्मल सिंह आदि बनाम सुखदेव सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 53, 188 आरटीए मुकदमा नं. 36/1999
निर्णय दिनांक :- 30.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कार्ड रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गुरमिन्दर सिंह सैनी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह, श्री गुरदयाल सिंह भल्ली पेश होने पर आदेश किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

दावापत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 22 एफ इन्तकाल संख्या 221 दिनांक 15.06.1996 व चक 27 एफ इन्तकाल संख्या 145 दिनांक 07.01.1996 को खारिज किया जाकर चक 22 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 108 में सुखदेव सिंह के नाम दर्ज 1.643 हैक्टेयर भूमि में से निर्मल सिंह को 0.3795 हैक्टेयर भूमि व चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 5 में सुखदेव सिंह के नाम दर्ज 1.962 हैक्टेयर भूमि में से निर्मल सिंह को 0.379 हैक्टेयर भूमि तथा चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 56 में सुखदेव सिंह के नाम दर्ज 0.342 हैक्टेयर भूमि में से निर्मल सिंह को 0.0685 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त तीनों खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2022/162 दिनांकः 30.03.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर